झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।

पत्रांक–.8 / ज0 सं0 (नि0) सु0 परि0–07–08 / 2014 –

आदेश

श्री प्रभुशंकर उपाध्याय, कनीय अभियंता को सुवर्णरेखा बाँध प्रमण्डल सं0–2, चाण्डिल में पदस्थापन के दौरान घोर अनियमितता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता से कार्य करना, सरकारी कार्यो को गंभीरता से नहीं होने संबंधी आरोपों के लिए सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाता है।

2– श्री उपाध्याय को निलंबन अवधि में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3– निलंबन अवधि में श्री उपाध्याय का मुख्यालय प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर निर्धारित किया जाता है।

4– श्री उपाध्याय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –

(डॉ लम्बोदर महतो)
अवर सचिव (नि0)
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक––.8 / ज0 सं0 (नि0) सु0 परि0–07–08 / 2014 – 1244 राँची, दि0 09/6/14

प्रतिलिपि– प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सरायकेला–खरसावाँ / कार्यपालक अभियंता सुवर्णरेखा बाँध प्रमण्डल सं0–2 चाण्डिल / अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध ~~प्रमण्डल~~ अंचल, चाण्डिल / संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैंनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री प्रभुशंकर उपाध्याय, कनीय अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध प्रमण्डल सं0–2, चाण्डिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (नि0)
जल संसाधन विभाग।